सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 326/21 **दिनांक- 08 जुलाई 2021**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-देवगांव

गैगेस्टर का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध एव अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा विशेष अभियान वांछित,वारंटी,ईनामिया एवं गैगेस्टर की गिरफ्तारी के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में दिनांक 07.07.2021 को प्र0नि0 श्री मंजय सिंह मय हमराह द्वारा वांछित,ईनामिया व गैगेस्टर की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबीर सूचना मिली कि मु0अ0स0 122/2021 धारा 3(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एव समाज बिरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1989 मे नामजद अभियुक्त श्रीकान्त कुमार पुत्र लालबहादुर निवासी ग्राम राजेपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ मसीरपुर तिराहे पर किसी वाहन से भागने के फिराक मे खडा है। मुखबीर की इस सूचना पर प्र0नि0 मंजय कुमार सिंह मय हमराह के मसीरपुर तिराहे पर पहुचकर उक्त व्यक्ति को वही पर घेर कर समय करीब 08.50 बजे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए नियमानुसार जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम श्रीकान्त कुमार पुत्र लालबहादुर नि0 राजेपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ बताया। अभियुक्त को उसके अपराध के बोध कराकर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

अभियोग पंजीकृत

मु0अ0स0 122/2021 धारा 3(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एव समाज बिरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1989 थाना देवगांव जनपद आजमगढ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

श्रीकान्त कुमार पुत्र लालबहादुर नि0 राजेपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम

(1) प्र0नि0 मजंय सिंह थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़।

(2) हे0का0 प्रवीण सिंह थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़।

(3) का0 बृजेश कुमार थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़।

(4) का0 रितेश तिवारी थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़।

(5) का0 दीपक कुमार थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़।

थाना-दीदारगंज

पुलिस पर जानलेवा हमले का वांछित अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया तथा गैगेस्टर की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी फूलपुर जनपद आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 08.07.2021 को उ0नि0 जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा मय हमराह हे 0का0 बृजेश यादव व का0 दुर्गश गौड के साथ पल्थी बाजार मे मौजूद थे कि क्षेत्र से उ 0नि0 श्री अवधेश कुमार त्रिपाठी व हमराह का0 कन्हैया गौड़ को जरिये दूरभाष सूचना देकर पल्थी बाजार तलब किया गया तलबिदा फोर्स के साथ अपराध रोकथाम एवं अपराधियो की गिरफ्तारी के बाबत चर्चा की जा रही थी कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मु 0अ0सं0 165/2020 धारा 307 भा0द0वि0 (पुलिस मुठभेड) से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र ढोढई उर्फ चन्द्रभान निवासी ग्राम रम्मोपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ सरांवा गांव की तरफ से सरांवा तिराहे की ओर आ रहा है और हुब्बीगंज की ओर जायेगा उसके पास नाजायज असलहा भी है। इस सूचना पर उ0नि0 मय हमराह कर्म0गण को मुखबिर की मंशा से अवगत कराकर छिपते छिपाते सरावां तिराहे पर पहुचे कि कुछ ही देर में नहर पटरी से सरावां गांव की ओर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखायी दिया। पुलिस बल को अपनी तरफ आता देख वह व्यक्ति पीछे मुड़कर सरावां तिराहे की ओर भागना चाहा कि पुलिस बल द्वारा हुब्बीगंज रोड की ओर जाते जाते उक्त व्यक्ति को समय 08.05 बजे पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राजेश कुमार पुत्र ढोढ़ई उर्फ चन्द्रभान निवासी रम्मोपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ बताया। भागने का कारण पुछने पर बताया कि मेरे पास एक नाजायज तमंचा व कारतूस है पकड़े जाने के डर से भाग रहा था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ ही लिया। पकड़े गये व्यक्ति की मौके पर तलाशी से एक अदद तमंचा . 315 बोर,एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी एव गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 91/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

राजेश कुमार S/O ढोढ़ई उर्फ चन्द्रभान R/O रम्मोपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 91/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 165/2020 धारा 307 भा0द0वि0 (पुलिस मुठभेड) थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 91/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी

एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

1- उ0नि0 जगदीश प्रसाद विश्वकर्माथाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

2- उ0नि0 अवधेश त्रिपाठीथाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

3- हे0का0 वृजेश यादवथाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

4- का0 दुर्गश गौड थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

5- का0 कन्हैया गौड़ थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

थाना- कप्तानगंज

फर्जी जमीन का बैनामा करने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार

अभियुक्तगणो द्वारा साजिश व षड़यन्त्र करके अपूर्ण परिवार रजिस्टर की नकल तथा झूठा बयान देकर आवेदक की जमीन को अपने नाम से वारिश दर्ज करा लेने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 329/2017 धारा 419/420/467/468/471/200 IPC आवेदक जयहिन्द पुत्र स्व0 नन्दलाल ग्राम लखमीपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा पंजीकृत कर विवेचना की प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ के द्वारा अपराधियों/वांछित अभियुक्तों/वारण्टीयों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद आजगमढ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर आजमगढ के दिशा निर्देशन व कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.07.2021 को मुखबिरी सूचना पर उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह मय हमराहियान के द्वारा दबिश देकर अभियुक्ता सरिता पत्नी विनोद राजभर निवासी लखमीपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ सम्बन्धित मु0अ0सं0 329/2017 धारा 419/420/467/468/471/200 IPC थाना कप्तानगंज को समय 10.30 बजे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अपने जुर्म से इन्कार करते हुए अपनी सफाई माननीय न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्ययम से देना बता रही हैं।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 329/2017 धारा 419/420/467/468/471/200 IPC थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सरिता पत्नी विनोद राजभर निवासी लखमीपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
2. का0 नित्यानन्दसिंह थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
3. म0का0 प्रतिक्षा सिंह थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

थाना- रानी की सराय

किशोरी को बहला-फूसलाकर ले जाने वाला गिरफ्तार

दिनांक 06.07.2021 को एक गाँव महिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया कि महिला की खुद की लड़की उम्र 17 वर्ष को उमेश यादव पुत्र राममुरत यादव ग्राम टेकमलपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है, इस आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 80/2021 धारा 363/366 भा0द0वि0 बनाम उमेश यादव पुत्र राममुरत यादव ग्राम टेकमलपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित/वारण्टी/की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ व अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय के कुशल नेतृत्व में ब0उ0नि0 अनिल कुमार मिश्रा व का0 दिलीप कुमार व म0का0 जुबैदा खातुन द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 80/2021 धारा 363/366 भा0द0वि0 में नामजद वांछित अभियुक्त उमेश यादव पुत्र राममुरत यादव ग्राम टेकमलपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को मूखबीरी सूचना पर आज दिनांक 08.07.2021 को समय करीब 10.15 बजे चेक पोस्ट से गिरफ्तार किया गया। तथा अभियुक्त के मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का स्थान – चेक पोस्ट, समय 10.15 बजे दिनांक 08.07.2021

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त पूछताछ पर अपने जूर्म को स्वीकार कर रहा है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 80/2021 धारा 363/366 भा0द0वि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त – उमेश यादव पुत्र राममुरत यादव ग्राम टेकमलपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1- ब0उ0नि0 अनिल कुमार मिश्रा व का0 दिलीप कुमार व म0का0 जुबैदा खातुन थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़